

449

1
235/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-11-27
क्रमांक-235/2017
सं0 ई/31/3/भाग-2/चार
सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

दिनांक 10-11-2017

प्राप्त
23/11/17

विषय:-प्रशासनिक विस्तार-रेल कर्मचारियों का समय पूर्व सेवानिवृत्ति-आर-11.
1987 संस्करण के नियम 1802 (ए), 1803 (ए) 1804 (ए) के अन्तर्गत
आवधिक पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एसईसी(ई) पीआर-1 दिनांक 01 नवम्बर 2017
की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की
जा रही है।

रेलवे बोर्ड का संदर्भित पत्र दिनांक 10/12.11.2015 इस कार्यालय के समसंख्यक
परिपत्र दिनांक 18/24.12.2015 (क्रमांक-183/2015)द्वारा पूर्व में परिचरित किया जा
चुका है।
संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)

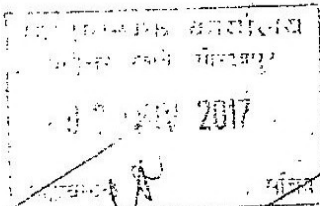
उपमुकाधि/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुत्र एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- अध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसियेशन 18, जाहिद अली क्वार्टर, मेडिकल रोड
शाहपुर, पो0-गीतावाटिका शाहपुर, गोरखपुर-273006
- 7- मुकाय्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

2
23/11/2017

R.S.M.S

06/11/17

07/11/17

No. 2016/SEC (E)/PR- 1

New Delhi, Dated 01 Nov. 2017

The General Managers,
All Zonal Railways

32)
Sub:- Strengthening of administration- premature retirement of Railway servants-
periodical review under rule 1802(a), 1803(a), 1804(a)-R-II, 1987 edition - reg.

Six committees each comprising of 3 CSCs/RPF were nominated with the approval of Board(MS) for periodical review of non gazetted staff of RPF of 16 Zonal Railways and RPSF vide this office letter of even number dated 21.10.2016.

2. However, on representations from Zonal Railways, Board(MT) has reviewed the matter and decided that review committees for carrying out periodical review of non gazetted staff of RPF & RPSF may be constituted by the concerned GMs, comprising of Head of Department (CSC/RPF) and the CPO or one of the two Dy. CPOs as members in terms of the provisions contained in Railway Board's circular No. E(P&A)I-2015/RT-38 dated 10/12.11.2015.

20/11/17
(Renu P. Chhibber)
DIG/R&T
Railway Board

Copy to : All CSC's /RPF & RPSF for information and necessary action please.

05/11/17

7/11/17

815
20/11/17